UPBN010066062016

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ।

एस०एस०टी० सं०–204/2016

सरकार बनाम रामू आदि

मु०अ०सं०–329/2016

धारा–307 भा०दं०सं०

थाना– उघैती, जिला–बदायूँ।

कथन अभियुक्त

नाम पिता का नाम आयु

पेशा निवासी थाना

जिला

प्रश्न–१ क्या आपने दिनांक १६–०७–२०१६ को समय १६.०० बजे दिन, वहद स्थान ग्राम छिवउ खुर्द सडक पुख्ता, थाना उघैती, जिला बदायूँ की सीमा के अन्तर्गत आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा एस०ओ० नरेश कुमार कश्यप व पुलिस पार्टी को जान से मारने की नियत से तमन्चों से फायर किये, जिससे पुलिस कर्मचारीगण बाल बाल बच गये, यदि आपके द्वारा किये गये फायर से किसी पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती हो, तो आप उनकी हत्या के दोषी होते। इस सम्बंध में आपको क्या कहना है?

उत्तर–

प्रश्न–२ क्या आप अपना अपराध स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं?

उत्तर

प्रश्न–३ क्या आपको कुछ और कहना है?

उत्तर–

प्रमाणित किया जाता है कि अभियुक्त का
वास्तविक व्यान अंकित किया गया है।

दिनाँक १२–०४–२०२३

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ।
(J.O. Code–UP 6281)

अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह उपरोक्त केस में दिनांक १६–०७–२०१६ से लगभग सात वर्ष से जिला कारागार, बदायूँ में बंद है। वह वेहद गरीब आदमी है। वह मुकदमा लडना नहीं चाहता है। प्रार्थी का मुकदमा जुर्म स्वीकृति के आधार पर निस्तारित करने की याचना की गयी है। अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र

स्वेच्छा से दिया गया है। अतः स्वेच्छा जुर्म की संस्वीकृति के आधार पर उसको धारा–३०७ भा०दं०सं० के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाया जाता है। अभियुक्त पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है।

दिनाँक १२–०४–२०२३

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ।
(J.O. Code–UP 6281)

अभियुक्त को दंण्ड की मात्रा पर सुना गया। अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया है कि वह इस मामले में लगभग सात वर्ष से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी अत्यन्त गरीब है। उसकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है। उसका वाद जुर्म इकबाल के आधार पर निर्णीत कर जेल में बितायी अवधि पर रिहा करने की याचना की गयी है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त उक्त वाद में जिला कारागार में निरूद्ध है। उसके अपराध की स्वेच्छा संस्वीकृति एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसे निम्न दंण्डादेश से दंण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **बबलू** को धारा–३०७ भा०दं०सं० के अन्तर्गत **सात वर्ष** के कठिन कारावास के दंण्ड से तथा **दो हजार** रूपये के अर्थदण्ड से दंण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त का सजायावी वारन्ट बनाकर सजा भुगतने हेतु जिला कारागार भेजा जाये।

अभियुक्त की जेल में वितायी गयी अवधि सजा की अवधि में नियमानुसार समायोजित की जाये।

आदेश की एक प्रति अधीक्षक, जिला कारागार, बदायूँ को प्रेषित की जाये।

दिनाँक १२–०४–२०२३

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ।
(J.O. Code–UP 6281)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँक १२–०४–२०२३

(अखिलेश कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र), बदायूँ।
(J.O. Code–UP 6281)

Digitally signed by AKHILESH KUMAR
Date: 2023.04.12 18:31:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court